आदेश

निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 05.08.2025 की सांय 06:00 बजे जारी किए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जनपद नैनीताल में कहीं–कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हेतु **"अलर्ट" जारी किया गया है जिससे जनपद अन्तर्गत क्षेत्रों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने एवं वर्षा के अतितीव्र होने की सम्भावना व्यक्त** की गई है। वर्तमान में जनपद के समस्त (पर्वतीय एवं मैदानी) क्षेत्रों में कहीं–कहीं वर्षा/भारी वर्षा हो रही है। जिसके फलस्वरूप जनपद क्षेत्रान्तर्गत नदियों/नालों/गधेरों में तेज जल प्रवाह होने की सम्भावना हैं एवं संवेदनशील स्थलों में भू–स्खलन होने की सम्भावना है जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तद्क्रम में छात्र–छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत **दिनांक 06.08.2025 (बुद्धवार)** को जनपद के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों (कक्षा 01 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं) एवं समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में **01 दिवसीय अवकाश** घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

अतः मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को देखते हुए **दिनांक 06.08.2025 (बुद्धवार)** को जनपद नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा 01 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं) एवं समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रहेंगे। मुख्य शिक्षाधिकारी, नैनीताल एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे। **उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर द्वारा आयोजित पूरक परीक्षा का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम एवं निर्देशों के अनुसार यथावत् किया जाएगा, इस संबंध में कोई अवकाश नही होगा।**

विचलन की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

ह0/
(वन्दना)
जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
नैनीताल।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नैनीताल

दूरभाष सं0: 05942–231178/231179/231181 ई–मेल deocnainital@gmail.com

संख्या 1437 /13–सी॰आर॰ए॰(आ॰प्र॰प्राधि॰)/2025 दिनांक 05 अगस्त, 2025

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त महोदय, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
4. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल।
6. नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।
8. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद–नैनीताल।
9. मुख्य शिक्षाधिकारी एवं जिला शिक्षाधिकारी (माध्यमिक/बेसिक), जनपद नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यथासम्भव Online कक्षाएं संचालित करवाना सुनिश्चित करें। अत्यन्त आवश्यकता की स्थिति में ही शिक्षकों एवं कर्मचारियों को विद्यालय में बुलाएं।
10. जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल।
11. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, जनपद नैनीताल।
12. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल को दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से निःशुल्क प्रसारित करने हेतु प्रेषित।
13. प्रभारी अधिकारी, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, नैनीताल।

(शैलेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि॰/रा॰)/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
नैनीताल।